

42

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र.

/2016

निं 1818-PBE-16

सुरेन्द्र नाथ शर्मा पुत्र स्व. श्री नारायण प्रसाद शर्मा, निवासी नल वाली गली ललितपुर कालोनी लश्कर ग्वा. म.प्र.
--आवेदक

विरुद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन,
2. सुभाष चन्द्र, अशोक, गिरीश, राकेश, पुत्रगण भजनलाल, निवासी काले साहब का बाड़ा नई सड़क लश्कर ग्वालियर (म.प्र.)
3. श्रीमती संगीता चुगलानी पत्नी श्री राजकुमार चुगलानी, निवासी कदम साहब का बाड़ा लश्कर ग्वालियर
4. श्रीमती मनीषा पत्नी श्री कन्हैया लाल, निवासी सी-1 चेतकपुरी लश्कर ग्वालियर (म.प्र.)
5. कुलदीप पुत्र भागवन्द्र, निवासी सी-1 चेतकपुरी लश्कर ग्वालियर (म.प्र.)
6. श्रीमती पूजा पत्नी श्री विष्णु, निवासी आंग्रे कालोनी लश्कर ग्वालियर (म.प्र.)
7. दिनेश पुत्र साधु राम, निवासी बाला बाई का बाजार लश्कर ग्वालियर (म. प्र.)
8. हरीश, राजेन्द्र पुत्रगण सुन्दर लाल, निवासी जरी पटका न. 1 फालका बाजार महावीर स्कूल गली लश्कर ग्वालियर (म.प्र.)
9. श्रीमती काजोल पत्नी श्री राजकुमार जोतवानी, निवासी जगन भैया की गली माधवगंज लश्कर ग्वालियर (म. प्र.)
10. श्रीमती एकता पत्नी श्री दिलीप, निवासी सिंधी कालोनी लश्कर ग्वालियर (म.प्र.)
11. लल्ला बेटी पत्नी श्री रामसिया शिवहरे दाल बाजार लश्कर ग्वालियर (म.प्र.)
12. सुरेश पुत्र श्री रामचन्द्र कालरा, निवासी 24 बरांत बिहार लश्कर ग्वालियर (म.प्र.)
13. अशोक कपूर पुत्र श्री इन्द्रसेन कपूर, निवासी गाडवे की गोठ, माधौगंज लश्कर ग्वालियर (म.प्र.)
14. श्रीमती ममता दुबे पत्नी श्री बृज किशोर, निवासी डी-1 जजेज कालोनी गोकुल पुर रांझी, जबलपुर (म.प्र.)
15. रामकुमार, श्याम कुमार पुत्रगण बाबुलाल, निवासी लोहिया बाजार लश्कर ग्वालियर (म.प्र.)

दिनांक 6-6-16 को
श्री अमित शर्मा को
झाला प्रकृत /

6-6-16

Ashargava
6-6-16
अमित शर्मा
(अधिव.)

6/6/16

16. श्रीमती राधा देवी पत्नी अशोक कुमार, निवासी गोविन्दपुरी लश्कर ग्वालियर (म.प्र.)
17. अशोक पुत्र भैयालाल भारद्वाज, निवासी पिताम्बरा पुरी दतिया तहसील व जिला दतिया (म.प्र.)
18. दिलीप पुत्र भैयालाल भारद्वाज, निवासी पिताम्बरा पुरी दतिया तहसील व जिला दतिया (म.प्र.) अथवा नोयडा दिल्ली
19. अशोक कुमार पुत्र रविशंकर शर्मा निवासी, गोविन्दपुरी ठाठीपुर ग्वालियर (म.प्र.)
20. नरेश कालरा पुत्र रामचन्द्र, निवासी डी-80 बी, बंसत बिहार, लश्कर ग्वालियर (म.प्र.)
21. योगेन्द्र गुप्ता पुत्र मूलचन्द गुप्ता, निवासी जिन्सीपुल लश्कर ग्वालियर (म.प्र.)

---अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 42/13-14/अपील में पारित आदेश दिनांक 26/05/2016 के विरुद्ध म.प्र. भूराजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:

यहकि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित अपील के समुचित न्याय निर्णयन हेतु आवेदक द्वारा संहिता की धारा 32 के अधीन एवं धारा 52 के अधीन आवेदन किये गये थे। जिन पर समयक रूपेण विचार किये बिना आक्षेपित आदेश दिनांक 25/05/2016 द्वारा खारिज किये गये। अतएव इसीसे व्यथित होकर उर्पयुक्त के साथ-साथ निम्नलिखित आधारे पर पुनरीक्षण प्रस्तुत है।


पुनरीक्षण के आधार:-

1. यहकि, विद्वान अनुविभागीय अधिकारी महोदय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबंधो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, इस प्रकरण में विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 245 एवं 246 एवं अन्य भूमि 247 जिसका मूल 1951 में बराकन लोक: मन्सूरी में

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1818-पीबीआर/2016 जिला ग्वालियर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
06-03-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो।</p> <p> अध्यक्ष</p>	